



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला

Office of the Executive Engineer, Public Works Department, Purola

दूरभाष/फैक्स संख्या 01373-223324

E-Mail ID: eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक:- 1705 / वनभूमि

दिनांक:- 28/10/2021

सेवामें,

उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार,
पुरोला (उत्तरकाशी)

विषय :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पांन का लौह मोटर सेतु का निर्माण हेतु 0.224 हे0 भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0 FP/UK/Others/9741/2015 दिनांक 01-03-2018

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 828/12-1 पुरोला दिनांक 27-10-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय निदेशक/ वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र सं0 1628/12-1 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के बिन्दु सं0 01 में विलम्ब हेतु आख्या दिये जाने की अपेक्षा की गयी है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक 213/12-01 पुरोला दिनांक 08-08-2018 के द्वारा 12 बिन्दुओं की आपत्ति खण्ड स्तर से निस्तारित किये जाने हेतु लिखा गया था, जिसका निस्तारण इस कार्यालय के पत्रांक 998/वनभूमि दिनांक 09-09-2020 के द्वारा किया गया। उक्त आपत्तियों के निराकरण में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराना है -

1. पूर्व में जियोरिफरेंस मैप के स्थान पर गूगल मैप अपलोड किये जाने के निर्देश थे, ई0डी0एस0 आपत्ति के बिन्दु सं0 11 के अनुपालन में पुनः ड्राफ्ट लगाकर नोडल कार्यालय से जियोरिफरेंस मैप तैयार करवाकर पुनः सभी स्तरों से हस्ताक्षर की कार्यवाही की गयी।
2. उक्त काल में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण होने के कारण पुनः वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में हस्ताक्षर एवं अथोरिटी लैटर जारी करने की कार्यवाही की गयी।
3. आपत्ति के बिन्दु सं0 13 में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मिनट्स ऑफ मीटिंग से सम्बन्धित अभिलेख अपलोड किये जाने थे, किन्तु खण्ड में तथा आपके कार्यालय में NBWL से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण बिन्दु निस्तारण नहीं किया जा सका, उक्त अभिलेख माह सितम्बर/2020 में नोडल कार्यालय से प्राप्त किये गये जिसकी प्रति आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1080/1सी. दिनांक 29-09-2020 के द्वारा आपके कार्यालय को भी उपलब्ध करा दी गयी थी।
4. दिनांक 23-03-2020 से देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण तथा तत्पश्चात कोरोना काल में अन्य विभागों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निशेध होने के कारण भी प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही, पत्राचार तथा नोडल कार्यालय से अभिलेख प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

उपरोक्त कारणों से प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण में विलम्ब हुआ है।

अतः आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

प्रतिलिपि कार्यालय निदेशक/ वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून उत्तराखण्ड को उनके पत्र सं0 1628/12-1 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता